न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2022/542

मिसल नम्बर– 126 / 2022

सोहन बाई श्रृंगी पत्नी स्व0 श्री सदानन्द श्रृंगी आयु 90 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी मकान नं0 54 / 144 व्यासजी के मंदिर के पीछे, बरना पाड़ा रेलवाली कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.घनश्याम श्रृंगी पुत्र स्व0 श्री सदानंन्द श्रृंगी आयु 65 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी मकान नं0 774 प्रशान्त विघा मंदिर स्कूल के पास दूसरी गली में, महावीर नगर द्वितीय कोटा
2.योगेश श्रृंगी आत्मज श्री राधेश्याम श्रृंगी आयु 35 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी बापू बस्ती के पास वाली गली शिवपुरा कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र॥)

दिनांक 23/06/25

उपस्थिति:–

1.श्री महेशचंद गुप्ता अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री चन्द्रशेखर कक्कड़ अधिवक्ता अप्रार्थीगण

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया सोहन बाई एक विधवा व वृद्ध महिला है जिसकी उम्र 90 वर्ष है तथा प्रार्थीया के पति स्व0 श्री सदानन्द श्रृंगी का निधन दिनांक 10.09.2022 को हो चुका है तथा प्रार्थीया अपने निवासरत मकान जो कि प्रार्थीया के पति के नाम से है में प्रार्थीया अपने पति के साथ प्रारम्भ से ही निवास करती आ रही है। चूंकि अप्रार्थी जो कि प्रार्थीया का इकलौता पुत्र है जो कि प्रारम्भ से ही प्रार्थीया से पृथक निवास करता चला आ रहा है तथा अप्रार्थी ने कभी भी प्रार्थीया व उसके पति जो कि अप्रार्थी के माता पिता है कि कभी भी सार संभाल व देखभाल नहीं की, चूंकि प्रार्थीया व उसके पति दोनो वृद्ध थे तथा उनकी सार संभाल व सेवा किया जाना आवश्यक था व अप्रार्थी का अपने माता पिता की सेवा करने का धर्म व नैतिक दायित्व था जो कि उक्त दायित्व का निर्वहन कभी नही किया गया। इस कारण प्रार्थीया व उसके पति ने उनकी छोटी पुत्री कौशल्या श्रृंगी व उसके पुत्र नितेश श्रृंगी व पुत्री सहित प्रार्थीया के मकान में आकर निवास कर कौशल्या श्रृंगी व उसके दोनो बच्चों ने प्रार्थीया व उसके पति की सेवा विगत 20–25 वर्षों से करते चले आ रहे है। दिनांक 10.09.2022 को प्रार्थीया के पति स्व. श्री सदानन्द श्रृंगी का निधन हो जाने के पश्चात अप्रार्थीगण जो कि प्रार्थीया की दूसरी पुत्री का पुत्र है व अन्य सभी रिश्तेदार प्रार्थीया के निवास पर आये तथा प्रार्थीया के पति का अंतिम संस्कार आदि किया उसके पश्चात अप्रार्थी अपनी माता प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी

कौशल्या श्रृंगी व उसके पुत्र नितेश श्रृंगी से लडने झगडने लगा और कहने लगा कि प्रार्थीया व उसकी पुत्री कौशल्या श्रृगी अपने बच्चो सहित इस घर से बाहर निकले तथा इस घर की चाबीयाँ अप्रार्थी को दो तथा प्रार्थीया व उसके पति के अकाउण्ट की पास बुक व अलमारी की चाबीयो आदि सब अप्रार्थी को दो वर्ना अप्रार्थी सबको धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा आदि कथन किया गया तथा प्रार्थीया के पति को मरे 12 दिन पूरे नही हुये थे इस बीच ही अप्रार्थी व योगेश श्रृंगी दोनो द्वारा मिलकर प्रार्थीया व कौशल्या श्रृगी व उसके बच्चो के साथ अपशब्द गाली गलौच, लडाई झगडा व मरने मारने की धमकी देकर लडाई झगडा करने लगा जिसकी रिपोर्ट प्रार्थीया द्वारा दिनांक 22.09.2022 को थाना कैथूनीपोल मे लिखित रूप में दी गई जिसकी रिसिविंग कॉपी प्रार्थीया के पास सुरक्षित है। लेकिन प्रार्थीया की उक्त रिपोर्ट पर थाना कैथूनीपोल द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध ना तो कोई कार्यवाही की गई और ना ही पाबंद किया गया। इस कारण अप्रार्थी के हौसले और बुलन्द हो गये तथा अप्रार्थीगण दोनो द्वारा वृद्ध प्रार्थीया व कौशल्या श्रृंगी व उसके बच्चों के साथ नाजायज लडाई झगडा कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने व मरने मारने की धमकी देने व घर से धक्के देकर निकालने का आपराधिक कृत्य जारी रहा। अप्रार्थीगण दिनांक 05.11.2022 को पुनः प्रार्थीया के निवास स्थान पर आया और आते ही प्रार्थीया व उसकी पुत्री कौशल्या श्रृंगी के साथ गाली गलौच व मारपीट की गई व घर से बाहर निकालने की धमकी दी गई साथ ही अप्रार्थी द्वारा घर से सभी परिजनों को घर में आग लगाकर जिन्दा जलाकर मारने की धमकी दी गई अप्रार्थी के उक्त कृत्य में योगेश श्रृंगी ने भी उसका पूर्ण सहयोग किया। प्रार्थीया द्वारा उसके पति के निधन पश्चात समस्त रीति रिवाजों व नुक्ते आदि का तमाम खर्चा प्रार्थीया की पुत्री कौशल्या श्रृंगी ने वहन किया उसके पश्चात भी अप्रार्थी ने जबरन प्रार्थीया व कौशल्या श्रृंगी से नुक्ते में खर्चे की अवैध एक लाख रूपये की मांग करता रहा तथा उक्त राशि नही देने पर धक्के देकर घर से निकालने की धमकी देकर नाजायज परेशान किया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से प्रर्थीया व उसकी पुत्री कौशल्या श्रृंगी जो कि विगत 20–25 वर्षो से अपने माता पिता प्रार्थीया व उसके पति की सेवा करते चले आ रहे है को नाजायज परेशान व धमकियाँ, अभद्र व्यवहार व मारपीट आदि करने से प्रार्थीया जो कि एक वृद्ध व विधवा महिला है काफी मानसिक तनाव में है तथा अप्रार्थी के उक्त कृत्य से प्रार्थीया व कौशल्या श्रृंगी को अप्रार्थी से अपनी जान माल का खतरा बना हुआ है। दोनो अप्रार्थी, प्रार्थीया व उसकी पुत्री कौशल्या श्रृंगी के साथ कभी भी कोई भी अप्रिय घटना कारित कर सकते है जिसके लिये दोनो अप्रार्थी को पाबंद किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थीया अपनी पुत्री कौशल्या श्रृंगी के साथ जिस मकान नं. 54/144, व्यासजी के मंदिर के पीछे, बरना पाड़ा, रेलवाली, कोटा (राज) में निवास करती है वह मकान प्रार्थीया के स्व. पति सदानन्द श्रंगी के नाम से है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त मकान पर स्व. सदानन्द जी श्रृंगी के समस्त विधिक वारिसानों का बराबर का हिस्सा है जिसमें प्रार्थीया व उसकी पुत्रियों व अप्रार्थी सभी का बराबर भाग में हिस्सा निहित है इस कारण भी अप्रार्थी को प्रार्थीया व उसकी पुत्री कौशल्या श्रृंगी को उक्त मकान से जबरन बेदखल करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थीगण के उक्त आपराधिक कृत्य की रिपोर्ट प्रार्थीया ने पूर्व में दिनांक 22.09.2022 को थाना कैथूनीपोल कोटा में दर्ज करवाई गई थी लेकिन थाना कैथूनीपोल द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई। इसके पश्चात प्रार्थीया द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोटा के समक्ष अप्रार्थी के विरूद्ध परिवाद पेश किया गया। जिस पर भी कोई कार्यवाही नही होने के कारण व प्रार्थीया व उसकी पुत्री कौशल्या श्रृंगी को अप्रार्थी से अपनी जानमाल का खतरा निरन्तर बना रहने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अतः उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया व उसकी पुत्री के साथ अप्रार्थीगणों द्वारा कारित उक्त आपराधिक कृत्य के लिये अप्रार्थीगणों को पाबद किया जावे कि दोनो अप्रार्थीगण भविष्य मे प्रार्थीया व उसकी पुत्री कौशल्या श्रृगी व नितेश श्रृगी के साथ ना तो अभद्र व्यवहार करे और ना ही प्रार्थीया के पति के मकान से प्रार्थीया व कौशल्या श्रृगी को ना तो बेदखल करने की धमकी देवे ना ही बेदखल करने का कृत्य कारित करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सत्य पर असत्य का आवरण चढाकर मिथ्या, भ्रामक, दुर्भावना पूर्ण आशय से आलेखित करवाये जाने के कारण अस्वीकार है। वास्तव में यथार्थ में प्रार्थना पत्र में से प्रार्थीया का विधवा, वृद्ध महिला, 90 वर्ष की होना स्वीकार है एवं प्रार्थीया के पति स्व. सदानन्द श्रृंगी का निधन दिनांक 10.09.2022 को होना स्वीकार है तथा प्रार्थीया का निवासरत मकान में निवास करना भी स्वीकार है। परन्तु शेष तथ्य प्रार्थीया की वृद्धावस्था के कारण मानसिक रूप से शिथिल हो जाने के कारण विधि विरूद्ध दबाव बनाकर प्रार्थीया की छोटी पुत्री कौशल्या श्रृंगी द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी अपने पत्नीव्रत धर्म का पालन नही किया और ना ही कभी अपने सास– ससुर की सेवा की व अपने पति का परित्याग कई वर्षों से कर रखा है तथा कौशल्या श्रृंगी के पति जो की 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है तन्हा रूप से जीवन यापन कर रहे है। कौशल्या श्रृंगी को प्रार्थीया के पति के द्वारा पुत्री होने के कारण कौशल्या श्रृंगी के पुत्र सहित प्रार्थीया के पति के स्वामित्व के मकान में प्रार्थीया के पति ने निवास करने की अनुमति दे रखी थी और भरण पोषण भी उनके द्वारा किया जा रहा था। प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास होने के उपरान्त पुश्तेनी चल–अचल सम्पदा को हड़पने की गरज से कौशल्या श्रृंगी के द्वारा प्रार्थीया के जरिये शेष तथ्य अंकित करवाये गये है। प्रार्थीया के पति स्व0 श्री सदानन्द श्रृंगी के निधन हो जाने के बाद प्रार्थीया की दूसरी पुत्री व रिश्तेदारों का निवास पर आना व अंतिम संस्कार किया जाना स्वीकार है। शेष तथ्य मिथ्या, भ्रामक, असत्य, निराधार दुभावना से बदनियती पूर्ण आलेखित करवाये जाने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीया की पुत्री कौशल्या श्रृंगी के द्वारा किसी भी खर्चे का दायितव उठाया गया है और ना ही कोई लडाई झगडा हुआ है। मात्र कपोल कल्पना पर र्दुभावना पूर्ण आशय से प्रार्थीया के मानसिक रूप से शिथिल होने के कारण कौशल्या श्रृंगी के द्वारा समस्त आलेखित करवाये गये है। कौशल्या श्रृंगी को कभी भी प्रतिपक्षीगण के द्वारा पुश्तैनी मकान से निकालने का प्रयास नही किया गया है। वास्तव में यर्थाथ में प्रतिपक्षीगण द्वारा कभी भी कोई आपराधिक कृत्य नही किया गया है प्रतिपक्षीगण वरिष्ठ नागरिक है व सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी है। प्रतिपक्षीगण के द्वारा कभी भी कोई आपराधिक कृत्य नही किये जाने के कारण आपराधिक कृत्य किया जाना अस्वींकार है। प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष विधि विरूद्ध होने के कारण व प्रार्थया के द्वारा स्वयं ही नही चाहे जाने के कारण व कौशल्या श्रृंगी द्वारा प्रार्थीया के मानसिक शिथिलता का लाभ उठाकर मांगे जाने के कारण व कोई वाद कारण उत्पन्न नही होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भवन बाबत विभाजन का वाद सिविल न्यायालय कोटा में जैरकार है। इसके कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रतिपक्षीगण के द्वारा अपने स्व. पिता श्री सदानन्द जी श्रृंगी के अंतिम क्रियाक्रम का खर्चा अपना नैतिक दायित्व होने के कारण वहन किया गया है जिसके समस्त बिल भी प्रतिपक्षीगण के पास उपलब्ध है प्रतिपक्षीगण की मान हानि करने की गरज से मिथ्या आक्षेप प्रतिपक्षीगण पर प्रार्थना पत्र में लगाये गये है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज करने के आशय का आदेश प्रदत्त करने का श्रम करे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत उभयपक्ष की ओर से अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस माने जाने निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीया द्वारा कथन किया है कि प्रार्थीया के पति के निधन पश्चात समस्त रीति रिवाजों व नुक्ते आदि का तमाम खर्चा प्रार्थीया की पुत्री कौशल्या श्रृंगी ने वहन किया उसके पश्चात भी अप्रार्थी ने जबरन प्रार्थीया व कौशल्या श्रृंगी से नुक्ते में खर्च की अवैध एक लाख रूपये की मांग करता रहा तथा उक्त राशि नही देने पर धक्के देकर घर से निकालने की धमकी देकर नाजायज परेशान किया गया। प्रार्थीया के उक्त कथन का खण्डन करते हुये अप्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया है कि प्रतिपक्षीगण के द्वारा अपने स्व. पिता श्री सदानन्द जी श्रृंगी के अंतिम क्रियाक्रम का खर्चा अपना नैतिक दायित्व होने के कारण वहन किया गया है जिसके समस्त बिल भी प्रतिपक्षीगण के पास उपलब्ध है। अपने उक्त कथन के समर्थन में अप्रार्थीगण की ओर से फर्द दस्तावेज बिल की प्रति पेश की है जिसके अवलोकन से यह तथ्य दर्शित होता है कि अप्रार्थी नं0 1 के द्वारा ही श्री सदानन्द जी श्रृंगी के अंतिम क्रियाक्रम का खर्चा वहन किया गया है। जिस कारण से हम अप्रार्थीगण द्वारा अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने के कथन से सहमत है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने कथनों के समर्थन में जो भी दस्तावेज यथा अप्रार्थी के विरूद्ध थाना कैथूनीपोल में दर्ज रिपोर्ट की प्रति एवं अप्रार्थी के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक को दिये गये परिवाद की प्रति प्रस्तुत किये है जिनके अवलोकन एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुये प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सीनियर सिटीजन एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थीया के साथ ना तो अभद्र व्यवहार करे और ना ही प्रार्थीया के पति के मकान से प्रार्थीया को ना तो बेदखल करने की धमकी देवे ना ही बेदखल करने का कृत्य कारित करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 23/06/15 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा